UPGK010067312026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2920/2026

निलेश सचान पुत्र स्व0 रमेश, निवासी- रामबाग, थाना- रामबाग एहता मुलगढ़ जिला- आगरा।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 90/2026
अंतर्गत धारा-103(1) बी0एन0एस0
थाना- गोरखनाथ, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 21.07.2026

1. लीगल एड डिफेंस काउन्सिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल कोर्ट, गोरखपुर की ओर से आवेदक/अभियुक्त **निलेश सचान** का यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 90/2026, अंतर्गत धारा- 103(1) बी०एन०एस०, थाना- गोरखनाथ, जिला- गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी का पति अस्पताल में सफाईकर्मी का काम करता था। दिनांक 28.02.2026 को घर से समय लगभग 02.30 बजे अस्पताल कार्य करने गया लेकिन जब देर रात घर नहीं आया तो वादिनी ने अपने बहनोई रईस आलम को घर से अस्पताल में जानकारी के लिए भेजा। तब अस्पताल में काम करने वाला निलेश सचान वादिनी के बहनोई से मिला और बताया कि शमशेर कमरे में सो रहा है। वादिनी के बहनोई ने वादिनी को उक्त सूचना दी। फिर जब सुबह तक शमशेर घर नहीं आया तब वादिनी उसे ढूंढने के लिए अस्पताल गयी। विनोद से उसने शमशेर के बारे में जानकारी करनी चाही तो फिर थोड़ी देर में निलेश सचान नजर आया और कमरे का ताला खोलकर तुरन्त भागने लगा। वादिनी ने उसको रूकवाया फिर वह कमरे के अंदर गये तो देखे कि वादिनी का पति, जिसमें निलेश रहता था मृत अवस्था में पड़ा था।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को महज शंका के आधार पर उपरोक्त मामले में अभियुक्त बना दिया गया है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना स्पष्टीकरण के चार दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कथित घटना दिन के ढाई बजे की कही जाती है परन्तु घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और न ही वादिनी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है। पंचायतनामा के गवाह के अनुसार मृतक की मृत्यु तबियत बिगड़ने से हो गयी। कथित घटना के गवाह रईस आलम के अनुसार मृतक गोरक्षनाथ हास्पिटल में सफाईकर्मी का काम करता था और काफी शराब पीता था। मृतक अत्यधिक शराब पीने का आदी था। हास्पिटल में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत था। उसकी मृत्यु कैसे हो गयी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है।

प्रार्थी गरीब व्यक्ति है और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके उसे बेचकर अपने परिवार की जीविका चलाता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 05.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी की यह प्रथम जमानत दरखास्त है। इसके अलावा उसकी उपरोक्त मामले में कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

5. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत मामले में वादिनी मुकदमा अनवरी खातून द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतक शमशेर अभियुक्त निलेश सचान के कमरे में मृत अवस्था में पड़ा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक शमशेर के शरीर पर कुल 05 चोटे पायी गयी है, जिसमें चोट संख्या- (05) 9Cm x 7 Cm सिर के बांये पैराइटल रिजन भाग पर पायी गयी, जिसके कारण मृतक शमशेर कोमा में चला गया और उसी अवधि में उसकी मृत्यु होने का साक्ष्य संकलित किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मृतक शमशेर से अभियुक्त का कोई संबंध नहीं है एवं मृतक अतिरिक्त शराब पीने का अभ्यस्त है। किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार मृतक शमशेर अभियुक्त निलेश, जिस कमरे में निवास करता था उसी कमरे में मृत पाया गया एवं अभियुक्त के शरीर पर 05 चोटे आयी है, जिसके कारण मृतक शमशेर की मृत्यु होने का निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में मृतक शमशेर का अभियुक्त के कमरे में मृत अवस्था में पाया जाना एवं अभियुक्त द्वारा कोई स्पष्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभियुक्त द्वारा मृतक शमशेर की मृत्यु कारित किये जाने की प्रथम दृष्टया स्पष्ट संलिप्तता पायी जाती है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अभिकथित अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत, गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त निलेश सचान द्वारा मु०अ०सं०-90/2026, अंतर्गत धारा-103(1) बी0एन0एस0, थाना- गोरखनाथ, जनपद-गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 21.07.2026

(चन्द्रमणि मिश्र)
प्रभारी अधिकारी न्यायालय
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.07.21 15:33:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court